निगरानी 436/14/225 — राजस्थान व्यक्ति मसूदा

तारीख पेशी	बनाम 2014/00088 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री ....राजेश अरोड़ा.......... श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
22.10.18	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट की अपील में बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को दिनांक 14.05.2014 को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण की तलबी हेतु पेशी दिनांक 18.06.2014 नियत की गई तथा तत्पश्चात प्रार्थना पत्र वास्ते तलबी अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नियत थी इसी दौराने अभिभाषक अपीलांट ने दिनांक 14.05.2014 के आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। चुंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्राथमिक स्तर पर विचाराधीन हैं और प्रकरण में अप्रार्थीगण की तलबी होनी शेष हैं। अभिभाषक अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायायालय के आदेश के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी, जो पोषणीय नहीं हैं किन्तु पक्षकारान के समय एवं आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, हम प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रार्थना पत्र का 30 दिवस में निस्तारण करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित समझते हैं। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र में अंकित कारण संतोषजनक होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं। **तत्पश्चात अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट (अस्थायी निषेधाज्ञा) का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। मिसल फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।** (हस्ताक्षर) राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	अधिकारी, अधीनस्थ न्यायालय के 22/10/18 आदेश की प्रति क्रमांक 2497 दिनांक 15/11/18 द्वारा भिजवायी गई। (हस्ताक्षर)